अवकाश होने की वजह से पत्रावली आदेश दिनांक 05/07/22 को पेश हो।

05/07/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील अनु०। विपक्षी सं. 1 से 3, 6, 7 एवं 9 के वकील उप०। विपक्षी वकील ने उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया। विपक्षी वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अतः निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार कोकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली मूल प्रार्थना पत्र के संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 277/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

## अन्तर्गत धारा 81 RLR Act.

प्रार्थी –

1. मीरखां पुत्र रिड़मल 2. कुशलाराम पुत्र रिड़मल
3. गुलाबाराम 4. मांगीलाल पि. अमनाराम जातियान मेघवाल निवासी इब्रे का तला तहसील धनाऊ
5. बागसिंह 6. गेमरसिंह 7. चंदनसिंह 8. दीपसिंह
9. सांगसिंह पुत्री द्वारका 10. किशनी पुत्री द्वारका संख्या 5 से 10 जाति राजपूरोहित निवासी इब्रे का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

**बनाम**

विप्रार्थीगण –

1. हाकम पुत्र शेराराम 2. सीता पत्नी हाकम
3. तगाराम 4. ताराराम 5. भंवराराम पुत्र अमराराम
6. मु. पातुदेवी पत्नी अमनाराम 7. इंद्रादेवी पत्नी विलालराम
8. भारमल पुत्र प्रागाराम 9. भीखीदेवी पत्नी शेराराम जातियान मेगवाल निवासी इब्रे का तला तहसील धनाऊ
10. बैंक शाखा एस.बी.आई. चौहटन जरिये मैनेजर
11. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री जुगतसिंह**

विप्रार्थी वकील – **श्री शाकर खान एच**

**निर्णय**

दिनांक :– 05.07.2022

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम इब्रे का तला तहसील धनाऊ में स्थित खेत खसरा संख्या 785/592, 781/592, 782/592 के खातेदार है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीयान के पड़ौसी है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 सभी मूल खसरा संख्या 592 के खातेदार कृषक है तथा समय–समय पर हुए आंवटन व क्रय–विक्रय से इस आराजी पर काबिज हुए है। इस समूचे खसरा की तरमीम भौतिक रूप से पैमाईश न कर संबंधित हल्का पटवारी द्वारा अपने कार्यालय में बैठ कर कर की गई है और यही कारण है कि खेतों के सेढ़े पर विवाद रहता है तथा प्रार्थीगण ने समूचे अविभक्त खसरा संख्या 592 की पैमाईश कर समस्त कब्जाधारी खातेदारान [illegible] निवेदन किया है इस प्रकरण के निस्तारण में समय लग सकता है। तरमीम [illegible] पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद न हो, पक्षकारान को स्थगन आदेश [illegible] समूची अविभक्त मूल खसरा संख्या 592 से विभक्त हुए खेतों के रेकर्ड व सीमाओं को यथावत रखने हेतु पाबंद किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

जाये। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवदेन है कि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि समूचे मूल खसरा संख्या 592 के समस्त खसरा संख्या 782/592, 785/592, 820/592, 819/592, 784/592, 821/592, 822/592, 860/592, 783/592, 781/592, 861/592 के खेतों की पैमाईश होकर समस्त पक्षकाराने की सीमाएं स्पष्ट होकर रेकर्ड की तरमीम दुरस्त न हो जाय अपनी-अपनी खातेदारी के खेत के रेकर्ड व मौके की स्थिति यथावत कायम रखे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश संख्या 277/2021 दिनांक 08.12.2021 को मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे।

प्रार्थी वकील अनु0। विप्रार्थी संख्या 1 से 3, 6, 7 एवं 9 के वकील उप0। विप्रार्थी वकील ने जवाब पूर्व में पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है विप्रार्थी वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने हेतु निवेदन किया। विप्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस निम्नानुसार है- उक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा तरमीम शुद्वि की इस्तदुआ चाही गई है। प्रार्थी मीरखा वगैरा पूर्व में इसी भूमि की तरमीम शुद्वि हेतु न्यायालय उपखंड अधिकारी चौहटन के न्यायालय में एक राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया था जो न्यायालय में राजस्व आवेदन संख्या 289/2014 के रूप में दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई शुरू की गई तीन साल तक उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा और उसके बाद न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रार्थीगण का तरमीम शुद्वि उक्त का आवेदन दिनांक 13.07.2017 का खारीज कर दिया अगर प्रार्थीगण को उक्त निर्णय पर एतराज था तो अधीनस्थ न्यायालय में उक्त निर्णय के विरूद्व अपील करनी थी लेकिन प्रार्थीगण द्वारा पुनः वही आवेदन न्यायालय में पेश कर न्यायालय को अंधेरे में रखने की कोशिश की है। इसलिए वही पक्षकार, वही वादग्रस्त भूमि और वही तरमीम शुद्वि की इस्तदुआ चाहकर प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन काबिले खारीज है। प्रार्थीगण द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व उक्त आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय को अंधेरे में रखने की कोशिश की है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.12.2021 को जो आवेदन पेश किया है तब विप्रार्थी संख्या 8 के रूप में भारमल पुत्र प्रागा को पक्षकार बनाया है जबकि भारमल का उक्त आवेदन प्रस्तुत होने से 8 माह पूर्व दिनांक 26.04.2021 को निधन हो चुका है प्रार्थीगण के यहां पर भी मृत व्यक्ति के विरूद्व आवेदन पेश कर उससे जरिये नोटिस जवाब तलब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

किया है। उक्त प्रकरण के विप्रार्थी संख्या 1,2,7 व 9 ने अपने खातेदारी की नेखमबंदी करने करने का आदेश आप श्रीमान जी के न्यायालय से दिनांक 11.11.2021 को प्राप्त किया था चूंकि प्रार्थीगण को उक्त नेखमबंदी के आदेश में व्यावधान डालना था इसलिए उन्होनें उक्त नेखमबंदी आदेश की पालना रोकने हेतु उक्त झूठा निराधार आवेदन प्रस्तुत किया जो काबिले खारीज है। मूल खसरा संख्या 592 की समस्त तरमीम पर प्रार्थीगण ने सवाल खड़े कर पूरे मूल खसरे की भूमि की नए सिरे से तरमीम करने का निवेदन किया है जबकि मूल खसरा संख्या 592 ने नए खसरा संख्या 778/592, 779/592, 780/592, 837/592, 859/592, 870/592 का ना तो प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन में कोई हवाला दिया है एवं न ही उक्त खसरा संख्या के खातेदारों को पक्षकार बनाया है लेकिन इस्तदुआ एवं स्थगन आदेश में समस्त मूल खसरा संख्या का हवाला देने से उक्त खसरा संख्या के खातेदारों का हित प्रभावित हो गया है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा उन्हे पक्षकार नही बनाने से वो अपना पक्ष नही रख पा रहे है ऐसी स्थिति में भी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाए बिना पेश किया गया उक्त आवेदन काबिले खारीज है। जो कि गलत है। अतः श्रीमान जी के समक्ष जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय की आड में एकतरफा स्थगन आदेश पारित करवाया है। एकतरफा स्थगन आदेश प्रार्थीगण द्वारा कानूनी प्रक्रिया में व्याधान पैदा करने की नियत से, सारहीन व बिना किसी आधार के गलत, मनगढत तथ्यों के आधार पर लिया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत् एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 277/2021 दिनांक 08.12.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को न्यायालय के खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा